रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D.(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 477] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 15, 1980/आश्विन 23, 1902
No. 477] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 15, 1980/ASVINA 23, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 1980

का० आ० 845(अ) :—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 19 अक्तूबर, 1980 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77,78,79 और 81 के सिवाय जो पहले

ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबन्ध उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

"जिला गोरखपुर, तहसील सदर,
परगना हवेली में,
राजस्व ग्राम अयोध्या-चाक और सरैया
के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र ।"

[सं० एस०-38013/4/79-एच० आई०]
ए० पूनेन, उप सचिव

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October, 1980

S.O. 845(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' Sate Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Cenral Government hereby appoints the 19th October, 1980 as the date on which the provisions of Chapter IV (except section 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI [except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act, shall come into force in the following areas in the State of Uttar Pradesh namely :—

"The areas within the
revenue villages of Ayodhya-Chak
and Saraiya in Pargana Haweli,
Tehsil Sadar,
District Gorakhpur."

[No. S. 38013/4/79-HI]
A. POONEN, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980